

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक- 25.04.18

संख्या-12/विविध-5009/16-सा0प्र0-5499 /विभागीय आदेश सं0 5297 दिनांक 19.4.2018 के द्वारा 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) परीक्षा के सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु श्री मुकुल कुमार, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना एवं श्री विकास कुमार, बि0प्र0से0 विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना को दिनांक 27.4.18, 28.04.18, 29.04.18 एवं 04.05.18 के लिए तथा श्री महावीर प्रसाद शर्मा, बि0प्र0से0 भू-संपदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को दिनांक 04.05.2018 को की गयी प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता, उप सचिव एवं मूल कोर्ट के निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम 4 में अंकित तिथियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) परीक्षा के सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, कोर्ट क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्ति की तिथि	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश कुमार, 841/11	विशेष कार्य पदाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना । (अपर समाहर्ता स्तर में उत्कृष्ट)	27.04.2018, 28.04.2018, 29.04.2018 एवं 04.05.2018	9431492621
2	श्री विनय कुमार ठाकुर, 1011/11	सहायक निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना ।	04.05.2018	9431070644
3	श्री राजवर्द्धन, 1249/11	विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पटना)	27.04.2018, 28.04.2018, 29.04.2018 एवं 04.05.2018	9939678560


2. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा निर्देशित परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों पर सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा परीक्षा समाप्त होने पर स्वतः अपने पदस्थापनवाले पद पर योगदान कर लेंगे ।


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/विविध-5009/16-सा0प्र0-5499 /पटना, दिनांक- 25.04.18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव